जल संसाधन विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्र.F-10-1/2010/म/31/708

भोपाल, दिनांक 18-8-11

आदेश

जल संसाधन विभाग में निर्माण कार्यों को ठेके के माध्यम से संपादित कराने की वर्तमान व्यवस्था में लगने वाले समय को कम करने एवं प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नानुसार संशोधित व्यवस्था लागू की जाती है। यह आदेश रू. 20 लाख से अधिक लागत की ई टेंडरिंग के अन्तर्गत बुलाई जाने वाली निविदाओं पर तथा दिनांक 15 अगस्त 2011 से जारी की गई निविदाओं पर लागू होगा।

1. **निविदा प्रपत्र तैयार करना –**
   a. स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर कार्यपालन यंत्री द्वारा निर्माण कार्यों हेतु निविदा प्रपत्र तैयार किया जाएगा। रू. 5 करोड़ तक के कार्यों के लिए Pre qualification की शर्त शिथिल है। अतः निविदा प्रपत्र में कोई Pre qualification condition नहीं होगी।
   b. रू. 5 करोड़ तक की निविदा में चूंकि Pre qualification की शर्त नहीं है अतः कार्यपालन यंत्री द्वारा तैयार निविदा प्रपत्र की हार्ड एवं साफ्ट कापी सीधे प्रमुख अभियंता के निविदा प्रकोष्ठ को प्रस्तुत किए जाएगें।
   c. रू. 5 करोड़ से अधिक राशि के कार्यों के लिए Pre qualification criteria कार्यपालन यंत्री द्वारा निर्धारित कर तैयार किए जाएगें। Pre qualification criteria के निर्धारण के लिए सुझाव है कि यथासंभव ऐसे आयटम को लिया जाए, जिनकी लागत कुल निविदा राशि की 15 प्रतिशत से अधिक हो। जैसे,
      I. Excavation & Earthwork in all types of strata.
      II. All types of RCC, CC & Masonry work
   d. कुल निविदा राशि की 15 प्रतिशत से कम लागत के किसी आयटम, को जो किसी विशेष प्रकृति के हो, जैसे Excavation of tunnel/ RCC, CC work for tunnel/ Providing & erection of gate etc. की आवश्यकता हो, तो ऐसे आयटम को Pre qualification criteria में रखने के संबंध में अधीक्षण यंत्री / मुख्य अभियंता में परामर्श कर लिया जाए।
   e. रू. 5 करोड़ से अधिक राशि के निविदा प्रपत्र मुख्य अभियंता के माध्यम से प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएगें। ऐसे निविदा प्रपत्र में निर्धारित Pre qualification criteria को Pre qualification document के रूप में पृथक से संलग्न किया जाएगा।

2. **निविदा आमंत्रित करना –**
   a. प्रमुख अभियंता कार्यालय में निविदा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिसके प्रभारी **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)** होंगे। प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्राप्त समस्त निविदा संबंधी कार्य जैसे निविदाएं आमंत्रित करना, तकनीकी ऑफर व वित्तीय निविदाएं खोलना एवं उन पर निर्णय हेतु प्रमुख अभियंता स्तरीय समिति की बैठक के आयोजन, बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार करना आदि कार्य इस प्रकोष्ठ के द्वारा संपादित किए जाएगें।
   b. प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्राप्त सभी निविदा प्रपत्र की निविदा आमंत्रण सूचना प्रमुख अभियंता द्वारा ई टेंडरिंग के माध्यम माह में **तीन बार** जारी की जाएगी। विशेष प्रकरण में प्रमुख अभियंता इसके अलावा भी आवश्यकतानुसार निविदा आमंत्रण सूचना जारी कर सकेंगे।
   c. सामान्यतः प्रत्येक माह की 9 तारीख तक निविदा प्रकोष्ठ में प्राप्त, विभाग की सभी निविदायें, निविदा प्रपत्र के आधार पर माह की 10 तारीख को निविदा आमंत्रण सूचना ई टेंडरिंग के माध्यम से जारी की जाएगी। इसके पश्चात् दिनांक 19 तक प्राप्त निविदा प्रपत्रों को दिनांक 20 को एवं दिनांक 29 तक प्राप्त निविदा प्रपत्रों की 30 तारीख को निविदा आमंत्रण सूचना ई टेंडरिंग के माध्यम से जारी की जाएगी।

d. इस प्रकार निविदा के तकनीकी ऑफर व वित्तीय ऑफर खोलने के लिए प्रत्येक माह में तीन दिवस निर्धारित हो जाएगें।

e. निविदा आमंत्रण की सूचना, समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए प्रमुख अभियता कार्यालय द्वारा ही जनसम्पर्क विभाग को पत्र जारी किया जाएगा।

3. **निविदा के तकनीकी ऑफर खोलना व उस पर निर्णय –**

a. प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को मुख्य अभियंता / **मुख्य अभियंता (प्रोक्योयरमेंट)** अपने डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर खोलेंगे।

b. ठेकेदार के लिए अनिवार्य होगा कि वह EMD, Affidavit मूलतः एवं पंजीयन की छाया प्रति जल संसाधन विभाग के प्रदेश के किसी भी संभागीय कार्यालय या प्रमुख अभियंता कार्यालय के निविदा प्रकोष्ठ में जमाकर रसीद प्राप्त करे। रसीद निर्धारित प्रारूप में होगी। जो *परिशिष्ट अ* में दर्शित है। संबंधित कार्यपालन यंत्री, का यह दायित्व होगा कि वह विशेष वाहक के द्वारा अभिलेख प्रमुख अभियंता, कार्यालय को तत्काल प्रेषित करेंगे।

c. EMD, Affidavit & Copy of Registration of contractor की प्रति जमा करने की इस प्राप्त रसीद को EMD, Copy of registration of contractor & Affidavit के साथ स्कैन कर Envelope A में ठेकेदार अपलोड करेंगे। यदि प्रतियां निर्धारित दिनांक व समय तक प्राप्त नहीं होती अथवा प्राप्ति रसीद की स्कैन कापी अपलोड नहीं की जाती, तो इस आधार पर ठेकेदार को तकनीकी रूप से अर्हय नहीं माना जाएगा। ठेकेदार द्वारा EMD की मूल प्रति जमा न किये जाने पर उन्हें न्यूनतम एक वर्ष के लिये debar किया जा सकेगा।

d. तकनीकी ऑफर खुलने के निर्धारित दिनांक को सर्वप्रथम Envelope A खोला जाएगा। इसमें EMD, Copy of Registration of contractor & Affidavit होगा।

e. संभागीय कार्यालय में प्राप्त Envelope A के मूल दस्तावेजों EMD, Affidavit & Copy of Registration of contractor को संबंधित कार्यपालन यंत्री, प्रमुख अभियंता कार्यालय के निविदा प्रकोष्ठ में **मुख्य अभियंता (प्रोक्योयरमेंट)** को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराएंगे।

f. तकनीकी बिड खुलने के पश्चात् तकनीकी बिड का एजेंडा संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा तैयार किया जाएगा। एजेंडा तैयार कर संबंधित कार्यपालन यंत्री एवं वह अधिकारी जो निविदा के Pre qualification का निर्णय लेने के लिए अधिकृत है, प्रमुख अभियंता कार्यालय में तकनीकी बिड खुलने के दिनांक को उपस्थित होंगे।

g. ठेकेदार द्वारा केवल ई टेंडरिंग के माध्यम से अपलोड किए गये डाटा, दस्तावेजों एवं ठेकेदार के शपथ पत्र के आधार पर तकनीकी रूप से अर्हय ठेकेदार कौन–कौन हैं, के संबंध में **मुख्य अभियंता (प्रोक्योयरमेंट)** अपना अन्तिम निर्णय लेंगे। ठेकेदार द्वारा अपलोड किए दस्तावेजों के अलावा अन्य किसी दस्तावेज को अर्हता निर्धारित करने में उपयोग नहीं किया जाएगा। यहां उल्लेखनीय है कि ई टेंडरिंग में भाग लेने वाला प्रत्येक ठेकेदार केवल डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा ही दस्तावेज अपलोड करता है एवं आई.टी. कानून के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज कानूनी मान्यता रखता है।

h. तकनीकी ऑफर में अर्हय होने संबंधी लिए गए इस निर्णय को, वित्तीय ऑफर पर निर्णय लेने वाली प्रमुख अभियंता स्तर की समिति द्वारा वित्तीय ऑफर खोलने के पूर्व जांच की जा सकेगी। आवश्यक होने पर लिए गए निर्णय को कारण सहित बदलने का अधिकार प्रमुख अभियंता स्तर की समिति के पास होगा।

i. तकनीकी ऑफर में ठेकेदार द्वारा ई टेंडरिंग के माध्यम से जमा किए गए दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही...

यंत्री के माध्यम से की जाएगी, किन्तु तकनीकी ऑफर की स्वीकृति हेतु इस सत्यापन परिणामों की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, जब तक कि **संबंधित निविदा में भाग ले रहे** अन्य ठेकेदार/ठेकेदारों द्वारा, किसी ठेकेदार विशेष के विरूद्ध शपथ–पत्र के माध्यम से यह आक्षेप न किया जाए कि उक्त ठेकेदार द्वारा दी गई जानकारी गलत है। यदि निविदा में भाग ले रहे ठेकेदार/ठेकेदारों द्वारा किसी ठेकेदार विशेष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आक्षेप प्राप्त होता है तो उस निविदा के वित्तीय ऑफर खोलने की तिथि को आगे बढ़ाकर दस्तावेज/दस्तावेजों की जांच शीघ्रता से की जाएगी। जांच उपरान्त तकनीकी ऑफर में अर्हय ठेकेदार के संबंध में उपयुक्त निर्णय प्रमुख अभियंता द्वारा लिया जाएगा।

j. तकनीकी ऑफर में अर्हय होने संबंधी निर्णय को दर्ज करने के लिए *संलग्न परिशिष्ट–एक* के प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा।

k. भाग लेने वाले प्रत्येक ठेकेदार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह तकनीकी ऑफर का संबंधित विवरण ई टेंडरिंग की साईट पर भरे एवं उससे संबंधित प्रमाणित दस्तावेज वेब साईट पर अपलोड करे। तकनीकी अर्हता संबंधी निर्णय ठेकेदार द्वारा भरी गई जानकारी व उससे संबंधित अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर ही लिया जाएगा।

l. ठेकेदार द्वारा ई टेंडरिंग के पोर्टल पर संलग्न किए गए दस्तावेजों व जानकारी की सत्यता के संबंध दिया जाने वाले शपथ पत्र का संशोधित प्रारूप *संलग्न परिशिष्ट–दो* के अनुसार रहेगा।

4. **निविदा के वित्तीय ऑफर खोलना व उस पर निर्णय –**

a. वित्तीय ऑफर खोलने के लिए तिथि पूर्व निर्धारित होगी, जो कि निविदा आमंत्रण सूचना में पूर्व से अधिसूचित होगी।

b. तकनीकी ऑफर में अर्हय पाए गए ठेकेदारों के वित्तीय ऑफर निर्धारित दिनांक को खोले जाएगें।

c. ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किए वित्तीय ऑफर स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जाती है। यह समिति रू. 20 लाख से अधिक एवं रू. 7.50 करोड़ से कम की राशि की निविदा पर निर्णय के वर्तमान में प्रचलित अधिकारों का उपयोग करेगी। अर्थात् जिस निविदा राशि के निर्णय लेने के लिए अधीक्षण यंत्री सक्षम हैं वहां अधीक्षण यंत्री समिति में रहेंगे, जिस निविदा राशि के निर्णय लेने के लिए मुख्य अभियंता सक्षम हैं वहां मुख्य अभियंता इस समिति में रहेंगे। इस समिति में

1. प्रमुख अभियंता – अध्यक्ष
2. संबंधित कछार के मुख्य अभियंता–सदस्य,
3. निविदा प्रकोष्ठ के मुख्य अभियंता **(प्रोक्योयरमेंट)** – सदस्य सचिव
4. संबधित अधीक्षण यंत्री–सदस्य, एवं
5. संबंधित कार्यपालन यंत्री समिति के सदस्य होंगे।

d. रू. 7.50 करोड़ से अधिक राशि की निविदाओं पर प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति विचार कर निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किए जाने के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी।

e. रू. 7.50 करोड़ से अधिक राशि की निविदाओं के वित्तीय ऑफर पर निर्णय लेने के लिए राज्य शासन स्तर पर निम्नानुसार समिति होगी –

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग – अध्यक्ष,
2. प्रमुख अभियंता म.प्र. जल संसाधन विभाग–सदस्य,
3. संबंधित मुख्य अभियंता –सदस्य,

4. वित्त विभाग के प्रतिनिधि
5. निविदा प्रकोष्ठ के मुख्य अभियंता (प्रोक्योयर नेट) – सदस्य सचिव
6. संबंधित कार्यपालन यंत्री – सदस्य

f. वित्तीय ऑफर पर निर्णय लेने के लिए प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक उक्त निर्धारित दिनांक को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पूर्व से तैयार तकनीकी ऑफर की अर्हता संबंधी निर्णय के विवरण *परिशिष्ट– एक* में वित्तीय ऑफर का एजेंडा नोट *संलग्न परिशिष्ट– तीन* में एवं प्राप्त न्यूनतम दर का विश्लेषण के साथ संबंधित कार्यपालन यंत्री समिति के समक्ष उपस्थित होंगे। समिति अतिविशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्राप्त वित्तीय ऑफर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संबंध में उसी दिन अन्तिम निर्णय लेगी। समिति के अन्तिम निर्णय को निर्धारित प्रारूप *संलग्न परिशिष्ट– तीन* में तैयार कर समिति के सभी सदस्य हस्ताक्षर करेंगे।

g. उक्त समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर, संबंधित कार्यपालन यंत्री ठेकेदार को Letter of Acceptance जारी करेंगे, जिसे विभाग की वेबसाईट पर निविदा प्रकोष्ठ द्वारा अगले दिन अपलोड किया जाएगा।

5. अन्य

विभाग की वेबसाईट पर, विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज ठेकेदार एवं निलंबित ठेकेदारों की अद्यतन 'सूची उपलब्ध रहेगी, जिसे समय समय पर अद्यतन करने हेतु प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा आवश्यक जानकारी डाटा सेंटर को उपलब्ध कराई जाएगी।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम
एवं आदेशानुसार

18.08.2011

(ए.के. उपमन्यु)
अवर सचिव
म.प्र. शासन
जल संसाधन विभाग

पृ. क्रमांक – 10/01/2010/मध्यम/31/709 भोपाल, दिनांक 18/08/2011

प्रतिलिपिः–

(1) विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
(2) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
(3) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
(4) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
(5) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
(6) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
(7) प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
(8) प्रमुख अभियन्ता, बोधी, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
(9) समस्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश ।
(10) समस्त अधीक्षण यंत्री जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश ।
(11) समस्त कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश ।
12 उप संचालक डाटा बेस, कोलार रोड भोपाल

18.08.2011

(ए.के. उपमन्यु)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

रसीद

निम्नानुसार विवरण के अनुसार दस्तावेज को प्राप्त किए गए।

1. सिस्टम निविदा क्रमांक ....
2. कार्य का नामः ....
3. ई.एम.डी. का विवरण
   a. राशि ....
   b. जारी करने वाली बैंक का
      i. नाम ....
      ii. शाखा ....
      iii. दिनांक ....
4. बिड के साथ जमा किए गए दस्तावेजों की सत्यता बाबत् ठेकेदार का शपथ पत्र – ......
5. ठेकेदार के पंजीयन की छायाप्रति – ....

6. संलग्न :– मूल ई.एम.डी.

प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद कार्यालय की सील सहित

....

(केवल कार्यपालन यंत्री अथवा सहायक यंत्री)

FORMAT FOR DECIDING TECHNICAL QUALIFICATION OF CONTRACTOR

Office of the Executive Engineer, --

Contract ID No.: ------------------------------

Name of Work: --

PAC in Rs. Lakhs: ---------------------- **Period for Completion in months: ------------**

A.A. accorded : by: ---------------------- ------------------------ ------------------------ ---------------

No ------------ date ------------ Amount in Rs. Lakhs: --------------------

T.S. accorded: by: ---------------------- ------------------------ ------------------------ ---------------

No ------------ date ------------ Amount in Rs. Lakhs: --------------------

Date of opening: Technical offer: --------------------

Financial offer : --------------------

No. of Call for this work: ------------------

Publicity of NIT in newspaper: No of papers published in: All India level: -------- State level: ----------

Period for Validity of offer in month: ------------

Sno	Particulars	Minimum Requirement	Contractor 1	Contractor 2	Attachment
Registration Details & Company Profile:					
1	Contractor's registration detail				
1.1	Contractor is Individual/ Partnership firm/ Limited company, corporation/ Group of firms, companies				Attach Registration certificate
1.2	Name				
1.2.1	Registration No				
1.2.2	Date of registration				
1.2.3	Category (Old and New)				
1.2.4	Complete Present Address				
1.3	Name/ names of Competent person/ authority/authorities authorised to sign on bid &				
1.3.1	Its Power of attorney attached				Attach
1.3.2	Is Contractor in latest list of Blacklisted contractor		Yes/No		
1.3.3	Is Contractor in latest list of Suspended contractor		Yes/No		
Bid Security & EMD Details					
2	Qualification Part 1				
2.1	Receipt of EMD submission				
2.2	EMD form				
2.3	EMD no date				
2.4	Amount of EMD				

		Requirement			
Technical & Financial Qualification Details					
3	Qualification Part 2				
3.1	Work done in last 5 years with same name in Rs Lakhs				
3.1.1	2006-07				
3.1.2	2007-08				
3.1.3	2008-09		950		Attach
3.1.4	2009-10		1400		Attach
3.1.5	2010-11		1000		Attach
3.2	Annual Turnover i/c weightage @ 10% per year				
3.2.1	2006-07				
3.2.2	2007-08				
3.2.3	2008-09				
3.2.4	2009-10				
3.2.5	2010-11				
3.3	**Work in Hand**				
3.4	**Bid capacity**				
3.5	**Physical Work executed of similar nature during last five financial years**				
3.5.1	Excavation/Earthwork in all type of strata				
	2006-07				
	2007-08				
	2008-09				
	2009-10				
	2010-11				
3.5.2	Cement Concrete, RCC, Stone Masonry				
	2006-07				
	2007-08				
	2008-09				
	2009-10				
	2010-11				
3.5.3	Other: Specify				
	2006-07				
	2007-08				
	2008-09				
	2009-10				
	2010-11				
3.6	Total Financial amount for work done of above requirement in one year during last 5 year				
4	Affidavit submitted by contractor				
5	**Decision**				
6	**Reason for disqualification**				

Executive Engineer

----

100 रू. के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पर

शपथ–पत्र (Affidavit)

मैं/हम (शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम) जो कि मेसर्स...(ठेकेदार फर्म/कम्पनी का नाम) के ....(कंपनी/फर्म में हैसियत) है और ....फर्म/कम्पनी ....की ओर से शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के लिये सक्षम है, इस शपथ–पत्र द्वारा शपथ पूर्वक यह प्रमाणित करता हूँ/करते है, कि .... प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग / कार्यपालन यंत्री, कार्यालय .... द्वारा आमंत्रित निविदा सूचना क्रमांक ....वास्ते........................ .... के लिये दिनांक..............................को आमंत्रित निविदाओं के बारे मे प्रस्तुत किये जा रहे निविदा प्रपत्र में, निम्नलिखित जानकारी के समर्थन में जो प्रमाण–पत्र/अभिलेख प्रस्तुत किये जा रहे हैं, उससे मैं/हम व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से संतुष्ट हैं तथा एतद् संबंधी जानकारियों, अभिलेखों एवं प्रमाण–पत्रों की सत्यता के लिये मैं/हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं :–

1). यह कि निविदा प्रपत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणिक है।

2). यह कि मेरे/ हमारे द्वारा प्रस्तुत

   A. ई.एम.डी. के रूप में जमा की गई एफ.डी.आर./डी.डी./अन्य संबंधी दस्तावेज जो बैंक के द्वारा प्रदाय किए गए हैं, वे बैंक से प्रमाणिक हैं।

   B. वित्तीय अर्हता तथा वार्षिक टर्न ओव्हर की जानकारी सही है।

   C. विभिन्न भौतिक अर्हताओं की जानकारी सही है।

   D. Work in hand की जानकारी सही है।

3). कि जल संसाधन विभाग में मेरे/हमारी फर्म/कम्पनी के सदस्यों का कोई निकट रिश्तेदार (as defined in clause 2.39 of tender document) कार्यरत नहीं है।

अथवा

निम्नलिखित निकट रिश्तेदार कार्यरत है –

नाम .... पदनाम ....वर्तमान पदस्थापना ....

4). कि मेरे/हमारे/फर्म के विरूद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण कहीं भी पंजीबद्ध नहीं है।

(Signature of Applicant)
(Seal)

निर्माण कार्य हेतु आमंत्रित निविदाओं का विश्लेषण

1. कांट्रेक्ट आई.डी. क्रमांक :
2. संभाग का नाम : .... जल संसाधन संभाग ....
3. प्रशासकीय स्वीकृति क्रं./दिनांक : .... दिनांक ....
4. तकनीकी स्वीकृति क्रं./दिनांक : .... दिनांक ....
5. निविदा आमंत्रण सूचना क्रं. एवं दिनांक : ---------------------------- भोपाल दिनांक ....
6. निविदा प्राप्त होने की तिथि : ....
7. निविदा के अनुसार कार्य की लागत : रू. .... लाख
8. अमानत राशि : रू. ....
9. वित्तीय आफर खुलने का दिनांक : .... स्थान : प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल
10. प्राप्त निविदाओं का विवरण :

क्रं.	ठेकेदार का नाम	श्रेणी	ठेकेदार द्वारा दी गई बिड	प्राप्त दर एवं राशि रू. में	रिमार्क
1.	मेसर्स		------------ Lakhs	---% +/- & Rs. ------------	
2.	मेसर्स		------------ Lakhs	---% +/- & Rs. ------------	

11. अमानत राशि सही पाई गई : **हॉ/नहीं**
12. तकनीकी बिड का परीक्षण करने पर निम्नलिखित ठेकेदार उनके सम्मुख दर्शाए कारण से अपात्र पाये गये । शेष ठेकेदार निर्धारित अर्हतापूर्ण करते हैं ।

क.	ठेकेदार का नाम	अपात्रता का कारण
1		
2		

13. वित्तीय आफर का परीक्षण किया गया ठेकेदार ने निर्धारित निविदा प्रपत्र पर ही निविदा प्रस्तुत की है। निविदा प्रपत्रों में ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, न कोई नई शर्ते जोड़ी गई हैं ।
14. प्राप्त निविदा के संबंध में टीप जिसमें निम्न जानकारी दी जाना आवश्यक है ।

क. यदि पूर्व में निविदा की जा चुकी है तो उसका प्राप्त न्यूनतम दर सहित –

उदाहरण हेतु यह पंचम आमंत्रण है । इसके पूर्व द्वितीय आमंत्रण में एकल निविदा एस.एस.आर w.e.f 20-03-2009 से 10.16 .प्रतिशत (दस दशमलव एक छः) प्राप्त हुई थी ।निविदा के प्रथम ,तृतीय एवं चतुर्थ आमंत्रण में कोई निविदा प्राप्त नही हुई......... आदि

ख. संभाग के अंतर्गत पूर्व के अन्य ठेकों के लिये प्राप्त दरें –

ग. यदि निविदा पहली बार आमंत्रित की गई है तो पिछले वर्ष के लिये स्वीकृत दरें –

15. प्रस्तुत ठेके में प्राप्त दरों की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध औचित्य बताते हुए अनुशंसा–

*उदाहरण हेतु – यह निविदा का पंचम आमंत्रण है जो कि सागर जिले के बीना विकासखण्ड का है। इस निविदा के अन्तर्गत एकल निविदा प्राप्त हुई। म.प्र.जल संसाधन विभाग के वर्ष 2009 के एस.एस.आर. पर प्राक्कलन तैयार किया गया है। जिसमें **मेसर्स** .... से न्यूनतम निविदा राशि रू. --------------- प्राप्त हुई है जो प्राक्कलन से 9.957 प्रतिशत अधिक (नौ दशमलव नौ पांच सात) है। विगत चार निविदा आमंत्रण में से मात्र एक बार द्वितीय आमंत्रण में निविदा प्राप्त हुई थी जो एस.एस आर से 10.16 प्रतिशत अधिक होने से निरस्त कर दी गई थी । पंचम आमंत्रण में एकल निविदाकार मेसर्स सुरेशचंद गुप्ता झांसी द्वारा दी गई दर अधिक होने से उचित प्रतीत नही होती है। अतः निविदा अस्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।*

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, **भोपाल**

16. निविदा पर समिति के विश्लेषण का विवरण तथा लिया गया निर्णय :

*उदाहरण हेतु – पैकेज क्रं. MP 3359 की निविदा के पंचम आमंत्रण में एक निविदा **मेसर्स सुरेशचंद गुप्ता झांसी उ.प्र.** की न्यूनतम निविदा राशि रू. **95883139.11** है जो प्राक्कलन से 9.957 प्रतिशत (नौ दशमलव नौ पांच सात) प्राप्त हुई है। महाप्रबंधक ने अपनी अनुशंसा में प्राप्त निविदा दर को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की। समिति द्वारा महाप्रबंधक की अनुशंसा, उल्लेखित एवं वर्णित परिस्थितियों पर विचार किया एवं विचारोपरांत प्राप्त निविदा राशि **95883139.11** को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया ।*

सदस्य सचिव	**सदस्य**	**सदस्य**
(..........) कार्यपालन यंत्री .... जल संसाधन संभाग, ...	(.................) अधीक्षण यंत्री कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग	(......................) अधीक्षण यंत्री .... जल संसाधन मण्डल ....

सदस्य	**अध्यक्ष**
(.............................) मुख्य अभियंता .... जल संसाधन भोपाल	(.............................) प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल